

संचालनालय आयुष, म०प्र०
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक: 3/2/2022

-विज्ञप्ति-

-एम०डी०/एम०एस० आयुर्वेद/होम्योपैथी ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम-
-ऑल इण्डिया कोटा (प्रथम चरण)-

आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में आयुष मंत्रालय भारत सरकार व प्रदेश शासन से प्रवेशानुमति प्राप्त निजी आयुष महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की ऑल इण्डिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों की पूर्ति ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से, एम०पी० ऑनलाइन द्वारा संपन्न कराई जायेगी।

ऑल इण्डिया कोटे की प्रवेश काउंसिलिंग अंतर्गत प्रथम चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:-


1/ प्रथम चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 7/2/2022 से 9/2/2022 रात्रि 11:59 बजे तक
2	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 9/2/2022
3	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 10/2/2022
4	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्चाईस फीलिंग)	दिनांक 11/2/2022 से 13/2/2022 रात्रि 11:59 बजे तक
5	सीट आवंटन	दिनांक 17/2/2022
6	पं०खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में रिपोर्टिंग कर अभिलेख सत्यापन उपरान्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 18/2/2022 से 21/02/2022 सायं 05 बजे तक

नोट:-

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- ऑल इण्डिया कोटे की काउंसिलिंग संबंधी दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in एवं एम०पी० ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- 3- उपरोक्त काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थी के रिपोर्टिंग हेतु पं०खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल को रिपोर्टिंग केन्द्र बनाया गया है। अभ्यर्थी रिपोर्टिंग केन्द्र में मूल दस्तावेज एवं आवंटित महाविद्यालय की निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होगा। रिपोर्टिंग केन्द्र पर आवंटित अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा। तदुपरान्त रिपोर्टिंग केन्द्र पर उपस्थित निजी आयुष महाविद्यालय का प्रतिनिधि आवंटित अभ्यर्थी को, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार फीस जमा कराते हुए ऑनलाइन प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


3/2/22
औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म०प्र०